राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांकः प.8(2)राज/वाद/24 जयपुर, दिनांक : 04-02-2026.

:: आदेश ::

विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.01.26 के द्वारा ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 36 ए बी की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य में नवगठित जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फलौदी, डीडवाना, खैरथल, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली, सलूम्बर के न्यायालयों को उक्त अधिनियम की धारा 13 के खण्ड ए व बी, धारा 22 की उपधारा (3), धारा 27 के खण्ड (ए) व (सी), धारा 28, धारा 28ए व धारा 28बी तथा धारा 30 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के तहत मिलावटी एवं नकली दवाओं से संबंधित दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु अपनी-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के लिए विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया हैं।

अतः विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.01.26 के क्रम में नवगठित जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फलौदी, डीडवाना, खैरथल, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली, सलूम्बर में राज्य की ओर से पैरवीरत संबंधित लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट से संबंधित दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां एतद्द्वारा प्रदत्त की जाती हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से

sd/
(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3 रजिस्ट्रार, जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4 रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
5 विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
6 वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
8 निजी सचिव, शासन सचिव, गृह(विधि) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9 महानिदेशक, पुलिस/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10 जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ, कोटा, टोंक, प्रतापगढ़, बाड़मेर, ब्यावर, बूंदी, भरतपुर, जयपुर महानगर-प्रथम।
11 संबंधित अभियोजकगण।
12 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13 सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
14 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15 रक्षित पत्रावली।

04/2/26
(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि